1.

To

The District Judge

Jalaun at Orai Report-92 / Registered post

NO 3947 (136) /IV-2699/Admin A dated 03-3-2011

Subject - Regarding grant of personal pay under Voluntary family planning programme to Sri Brijendra Kumar Tyagi, Additional District Judge FTC (Ist) Jalaun at Orai

Sir,

With reference to your endorsement No 163/I dated 15-03-2010 forwarding therewith application dated 15-03-2010 of Sri Brijendra Kumar Tyagi Additional District Judge, FTC Ist, Jalaun at Orai, on the above subject, I am directed to send herewith a copy of format of declaration regarding grant of personal pay under Voluntary family planning programme and to request you kindly to ask Sri Brijendra Kumar Tyagi, Additional District Judge, FTC Jalaun at Orai to resubmit the same duly filled up in all respects, to this court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

JR(M)

order dated 15-02-2011 of Registrar General is placed below may kindly see the draft and issue

PKSrivastava 10-02-2011

[signature] 10-02-11

A.A.

Yours faithfully

Encl- Format of declaration (One)

Sunil Kumar
19-2-2011
Joint Registrar

(37)

NO 3948 /IV-2699/Admin A dated 03-3-2011

copy forwarded to Sri Brijendra Kumar Tyagi Additional District Judge FTC Ist Jalaun at Orai for information and necessary action

Sunil Kumar
19-2-2011
Joint Registrar

प्रेषक,

बृजेन्द्र कुमार त्यागी,
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 (प्रथम),
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।

विषय : परिवार कल्याण योजनांतर्गत वैयक्तिक वेतन (अतिरिक्त वेतन वृद्वि) दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.03.1996 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारम्भ की है और वर्तमान में जनपद जालौन स्थान उरई में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0 1 के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत है। प्रार्थी संलग्नक शासनादेश संख्या प.क. 4601/16-11-79-9-155-99 चिकित्सा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक फरवरी 23, 1980 के अंतर्गत उपर्युक्त परिवार कल्याण योजनांतर्गत वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने के लिए अर्ह हो जाता है और प्रार्थी उक्त शासनादेश के अनुसार दी हुई शर्तों को निम्नवत् पूण करता है।

1. यह कि प्रार्थी की आयु उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि 13.01.1965 होने के आधार पर दिनांक 13.01.2005 को 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

2. प्रार्थी के मात्र एक पुत्र आदित्य कुमार त्यागी है जिसके जन्मतिथि प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि 09.03.1999 के आधार पर प्रार्थी के पुत्र उपर्युक्त की आयु दिनांक 09.03.2009 को 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

3. प्रार्थी या प्रार्थी की पत्नी ने परिवार कल्याण योजनांतर्गत नसबन्दी आपरेशन नहीं कराया है।

4. प्रार्थी की पत्नी किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं है वह पूर्णतः प्रार्थी पर आश्रित है।

5. प्रार्थी के विरूद्व पूरे सेवाकाल में कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही न आरम्भ हुई न वर्तमान में चल रही है, न ही प्रार्थी कभी निलम्बित रहा, न ही प्रार्थी की वेतन वृद्वि रोकी गई।

प्रार्थी अपने व अपने पुत्र के जन्मतिथि प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां, घोषणापत्र व उक्त शासनादेश इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर रहा है।

15.3.10

12.0 MAR 2010

Request 92

इस प्रकार प्रार्थी दिनांक 10.03.2009 को प्रार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक होने व प्रार्थी के पुत्र की आयु 10 वर्ष से अधिक होने के आधार पर दिनांक 10.03.2009 से परिवार कल्याण योजनांतर्गत वैयक्तिक वेतन (अतिरिक्त वेतन वृद्वि) प्राप्त करने के लिए पूर्णतः अर्ह है।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय की जानकारी में लाते हुए प्रार्थी को दिनांक 10.05.2009 से उपर्युक्त संलग्नक शासनादेश दिनांक 23.2.1980 के अनुसार परिवार कल्याण योजनांतर्गत शासनादेश दिनांक 23.02.1980 के अनुसार परिवार कल्याण योजनांतर्गत वैयक्तिक वेतन (अतिरिक्त वेतन वृद्वि) दिलाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय महोदय का सदैव कृतज्ञ रहेगा।

अत्यन्त सादर के साथ।

भवदीय

दिनांक : 15.03.2010

15.3.10
(बृजेन्द्र कुमार त्यागी)
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 प्रथम
जालौन स्थान उरई।

**कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।**

**पत्रांक** 163 / Z **उरई : दिनांक : मार्च** 15, **2010.**

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद
को अग्रसारित।

15/3/10
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।

Request-92

घोषणा-पत्र

(40 वर्ष से अधिक आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिए जिन्होंने नसबन्दी नहीं करायी है।)

मैं बृजेन्द्र कुमार त्यागी घोषणा करता हूँ कि इस समय मेरी आयु 45 वर्ष 2 माह 2 दिन है और दिनांक 13-01-2005 को मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। इस समय मेरे एक बच्चा है और मेरे बच्चें आदित्य कुमार की आयु 09-03-2009 को 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। मेरा परिवार एक बच्चे तक सीमित है। इसके पूर्व मेरे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी जीवित है। मेरी पत्नी सरकारी या गैर सरकारी सेवक नहीं है। न उसे यह सुविधा मिल रही है। मैंने अथवा मेरी पत्नी ने नसबन्दी ऑपरेशन नहीं कराया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र के दिनांक के पश्चात् यदि मेरे कोई पुत्र / पुत्री होगी तो उसका विवरण मैं अपने विभागाध्यक्ष को उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करूँगा।

दिनांक- 15-03-2010

15.3.10

(बृजेन्द्र कुमार त्यागी)
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0(प्रथम)
जालौन स्थान उरई।

Request-92

SERIAL No. AISC/80/ 012305 1023

क्रम संख्या

# Central Board of Secondary Education

सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन

## ALL INDIA SECONDARY SCHOOL EXAMINATION, 1980

अखिल भारतीय सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, १९८०

This is to certify that BRIJENDRA KUMAR TYAGI
यह प्रमाणित किया जाता है कि

Roll No. 112800 XXXX son/daughter of Shri S C TYAGI
अनुक्रमांक आत्मज/आत्मजा श्री

born on THIRTEENTH JANUARY NINETEEN HUNDRED & SIXTY FIVE
जिनकी जन्म तिथि

Passed the All India Secondary School Examination of the Board held in March/April, 1980
है, ने बोर्ड द्वारा मार्च/अप्रैल, १९८० में आयोजित अखिल भारतीय सैकण्डरी स्कूल परीक्षा

from BIRLA PUBLIC SCHOOL PILANI
विद्यालय से

in the following subjects :—
निम्न विषयों में उत्तीर्ण की :—

1. MATHEMATICS
2. SCIENCE
3. SOCIAL STUDIES
4. ENGLISH-A
5. SANSKRIT
6. PHY & HEALTH EDN
7. MUSIC HIND-MEL INS

Attested 31/03/10

Civil Judge
Senior-Division
ORAI

H. R. Sharma

New Delhi
नई दिल्ली
Dated 30-8-1980

Secretary,
सचिव
Central Board of Secondary Education
सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन

**SACRED HEART CENTENARY ACADEMY**
New Mechanic Nagar, Konch Road, ORAI
Dist. Jalaun (U. P.) 285001

Request-92

Ref. No. ..............................

Date 05-3-2010

WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Master Aditya Kumar Tyagi S/O Mr. Brijendra Kumar Tyagi is a Student of Class VI in our Institution. His Date of Birth according to the School Record is on 9th March 1999.

Sr. [signature]
PRINCIPAL
Sacred Heart Centenary Academy
New Mechanic Nagar Konch Road
Dist. Jalaun (U.P.) 285001

Attested
[signature]
05/03/10
Civil Judge
Senior-Division
ORAI

पूर्ण औचित्य है क्योंकि जो व्यक्ति अपने वेतन-क्रम के उच्चतम वेतन पर उस समय से भी पहले पहुंच गया है जो समय उसके वेतन-क्रम निर्धारित करते समय पर्याप्त समझा गया था, तो उसे अपने को भाग्यशाली समझना चाहिये कि वह अपनी सेवा की इतनी लम्बी अवधि तक अधिकतम् वेतन पा सका है।

# अनुपूरक शासनादेश
## (Supplementary Government Orders)

Request-92

### 1

संख्या-प.क. 4601/16-11-79-9-155-99

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-शासन के समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 1980

विषय :- स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथास्थिति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबन्दी आपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे सरकारी सेवक, जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूलनियम 9(23)(बी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जाय, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा। उन कर्मचारियों को जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं, उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) स्वीकृत किया जायेगा, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 1979 से लागू समझे जाएंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो या जो ऐसी कार्यवाहियों की अपेक्षानुसार निलम्बित किये गये हों या जिसे वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति दी गई हो।

2. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपलब्ध) नियमावली, 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत जिन सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनवृद्धि का लाभ मिल चुका है, उन्हें उक्त सुविधा देय न होगी।

3. इस सम्बन्ध में जो व्यय होगा, वह उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा, जिससे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी अपना वेतन ग्रहण करता है।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:18:53 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad